

## **क्या करना**

1. शूटिंग लोकेशन पर हमेशा समय से पहुंचें।
2. सिंटा को अपनी ताज़ा व्यक्तिगत जानकारी (पता/इमेल/फोन नंबर आदि) से अवगत कराना तथा अपनी सब्सक्रिप्शन फ़ीस समय पर देना आपकी ज़िम्मेदारी है; ऑफ़िस के रिमाइंडर का इन्तज़ार न करें।
3. शूटिंग-आवर्स, सफ़ाई-रखरखाव, खाने की गुणवत्ता में किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही के बारे में, जल्द से जल्द, सिंटा को अवगत कराएं।
4. प्रोडक्शन कंपनी या उसके प्रतिनिधि से बात करते समय पेमेंट, ब्लॉक डेट्स, कॉल टाइम आदि के ज़रूरी रिकॉर्ड, लिखित सबूत के तौर पर, एस एम एस, व्हाट्सएप, इमेल आदि के रूप में अपने पास संभाल के रखें।
5. सिंटा डायरी (फिजिकल या डिजिटल) में (इन-टाइम व आउट-टाइम के कारण के साथ) सभी एंटीज नियमित भरें और प्रोडक्शन कंपनी के प्रतिनिधि से अनिवार्य रूप से हस्तक्षर करा लें।
6. अपडेटेड सिंटा कार्ड हमेशा अपने साथ रखें और स्टूडियो निरीक्षण के समय सिंटा केयर कमिटी के वालंटियर्स को पूछने पर अवश्य दिखाएं।
7. प्रोडक्शन हाउस से किसी प्रकार के तकरार के मामले में टीवी धारावाहिक के ऑफ-एयर जाने(बंद होने), तथा किसी फिल्म की डबिंग से पहले ही सिंटा से संपर्क करें।
8. किसी फिल्म की डबिंग से पहले ही अपने कुल पेमेंट का 90 प्रतिशत राशि अवश्य ले लें।
9. आपको अगर अपने एसोशियेशन से कोई शिकायत है तो सिंटा ऑफिस में आकर बताएं न कि किसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें।
10. प्रोडक्शन हाउस से प्राप्त एग्रीमेंट की एक कॉपी दस्तखत करने की तारीख के 15 दिन के अंदर सिंटा को फ़ॉरवर्ड करें।
11. इनवॉइस/ बिल देते समय, उसकी एक कॉपी, प्रोडक्शन हाउस के प्रतिनिधि से दस्तखत कराकर अपने पास अवश्य रख लें।

## **क्या नहीं करना**

1. अपना काम पूरा किए बिना सेट न छोड़ें। किसी प्रकार की इमरजेंसी में अपने यूनिट/ गुप या ज़ोनल हेड से या सिंटा ऑफिस से संपर्क करें।
2. एग्रीमेंट/कॉन्ट्रैक्ट में लिखी बातों (क्लॉज)को ठीक से पढ़ें और समझे बिना उसपर दस्तखत न करें।
3. एग्रीमेंट की अंतिम पंक्ति और अपने दस्तखत / नाम के बीच थोड़ी भी खाली जगह न छोड़ें।

4. राष्ऱ्रीय पर्व 26 जनवरी 15अगस्त तथा 1मई (अनिवार्य छुट्टियों) को शूटिंग न करें।
5. किसी भी विवाद के मामले में सीधे मीडिया(अखबार/ चैनल) के पास न जाएं।
6. किसी प्रोड्यूसर के खिलाफ एकबार सिंटा में शिकायत दर्ज कराने के बाद उस प्रोड्यूसर से सीधे सम्पर्क न करें।
7. किसी अन्य कलाकार की आवाज की डबिंग उसकी या सिंटा की सहमति के बिना करें।
8. किसी भी कलाकार की जगह उस कलाकार या सिंटा की सहमति के बिना काम न करें।
9. ब्लैक/अधूरे वाउचर पर दस्खत न करें।